(3)

प्रकरण संख्या–27 / 2017 तारीख रजु–07.12.2017

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

उनवान

निहालसिंह पुत्र सरदारसिंह उम्र 65 साल जाति गूजर निवासी देवरी तहसील मासलपुर जिला करौली

– अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक, करौली – रेस्पोडेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय व आदेश न्यायालय श्रीमान् सहायक वन संरक्षक, करौली दिनांक 30.11.2017 जो प्रकरण उनवानी क्षेत्रीय वन अधिकारी मासलपुर बनाम निहालसिंह, नंबरी 09 / 17 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट में सुनाया।

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय

दिनांक–07.02.2018

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि न्यायालय श्रीमान् सहायक वन संरक्षक, करौली में क्षेत्रीय वन अधिकारी मासलपुर द्वारा एक परिवाद पेश किया कि अपीलाण्ट प्रार्थी द्वारा वनखण्ड मरदई दाउदपुर में ग्राम देवरी में आराजी खसरा नंबर 9 की 90X130 फीट वन भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, आदि पर प्रार्थी अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिनांक 04.07.17 को पारित किये गये। प्रार्थी अपीलाण्ट ने उक्त आदेश को चुनौती देते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान्जी में अपील पेश की जिसमें माननीय न्यायालय श्रीमान्जी द्वारा अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए रेस्पोण्डेण्ट की पत्रावली रिमाण्ड कर आदेश पारित किया कि रेस्पोण्डेण्ट टीम गठित कर अपीलाण्ट की उपस्थिति में मौके का सीमाज्ञान / पैमाइश कराई जावे और अपीलाण्ट को साक्ष्य सबूत और सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए गुणावगुण पर पुनः निर्णय एक माह में पारित करे। माननीय न्यायालय श्रीमान्जी के आदेश दिनांक 28.08.17 की अनुपालना में रेस्पोण्डेण्ट द्वारा न्यायालय श्रीमानजी के आदेश की अवहेलना करते हुए बिना प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा पेशकर्ता दस्तावेज पर गौर किये एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा आदेश दिनांक 30.11.17 को प्रार्थी की अपील अस्वीकार करते हुए अपना पूर्व निर्णय दिनांक 04.07.17 यथावत् रखा जिससे व्यथित होने पर अपीलार्थी प्रार्थी न्यायालय श्रीमान्जी में पुनः अपील पेश कर रहा है। मूजबात अपील निम्न पेश है–रेस्पोण्डेण्ट द्वारा माननीय न्यायालय श्रीमान्जी की निर्णय व आदेश की अनुपालना में न तो अपीलाण्ट द्वारा पेश किये दस्तावेजात् पर गौर नहीं किया गया ना ही अपीलाण्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जो न्यायालय श्रीमान्जी की आदेश की अवहेलना है और इसी आधार पर निर्णय रेस्पोण्डेण्ट दिनांक 30.11.17 निरस्त होने योग्य है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय आरवेट्रेटरी एवं

जिला कलक्टर
करौली

रूयेदाद मिसिल व खिलाफे कानून होने से निरस्त होने योग्य है। क्षेत्रीय वन अधिकारी मासलपुर के परिवाद में वन भूमि का ख.नं. 9 पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण किया जाना दर्ज किया है जिसके आधार पर रेस्पोण्डेण्ट द्वारा प्रार्थी अपीलाण्ट को ख.नं. 9 की 130X90 फीट वन भूमि पर अतिक्रमी मानकर बेदखली आदेश दिये गये हैं जबकि खसरा नंबर 9 की न तो कोई पैमाइश की गई ना ही ख.नं. 9/1 का कोई रिकॉर्ड रेस्पोण्डेण्ट कार्यालय में उपलब्ध है। जैसा कि प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा सूचना के अधिकार के तहत दरख्वास्त पर रेस्पोण्डेण्ट द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या 17–18/6689 दिनांक 06.09.17 द्वारा अवगत कराया। जब ख.नं. 9/1 का रेस्पोण्डेण्ट के कार्यालय में कोई रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है तो न्यायालय श्रीमान्जी के आदेश की अनुपालना में नापतोल एवं सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण के निस्तारण किये जाने की बात ही गलत साबित होती है। अतः बिना पर्याप्त जांच एवं सुनवाई किये वगैर निर्णय दिनांक 30.11.17 पारित होना मनमाना निर्णय की बात को साबित करता है और इस आधार पर निर्णय रेस्पोण्डेण्ट 30.11.2017 विधि सम्मत नहीं होने, विधि विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। वास्तविकता यह है कि खसरा नंबर 9 को कालांतर में दो भागों में विभाजित किया गया। एक मात्र खसरा नंबर 9/1 एव दूसरा खसरा नंबर 9/2 बना। उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में भी इन्द्राज किये गये। खसरा नंबर 9/1 रकबा 396 बीघा 18 विस्वा का भाग जंगलात् (वन भूमि) रहा एवं खसरा नंबर 9/2 रकबा 14 बीघा 13 विस्वा गैर मुमकिन डंगरिया में रहा जो रास्ता व आबादी से भिडेवा होने के कारण आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत में रहा। प्रार्थी अपीलाण्ट का मकान इसी खसरा नंबर 9/2 में बना हुआ है जिससे वन विभाग की कोई संबंध नहीं है। रेस्पोण्डेण्ट द्वारा खसरा नंबर 9/2 की वास्तविक स्थिति पर कोई गौर न कर बहुत बड़ी कानूनी भूल की है और निर्णय रेस्पोण्डेण्ट दिनांक 30.11.2017 निरस्त होने योग्य है। जब प्रारम्भ से खसरा नंबर 9 का वन भूमि में होना क्षेत्रीय वन अधिकारी मासलपुर द्वारा दर्ज किया है। यह भी रिकॉर्ड पर है कि खसरा नंबर 9 को दो भागों खसरा नंबर 9/1 व खसरा नंबर 9/2 बांटा गया तो वास्तविकता जानने के लिए खसरा नंबर 9/1 व 9/2 की सही स्थिति की जानकारी किया जाना आवश्यक थी। तबही सही स्थिति रिकॉर्ड पर आ पाती। रेस्पोण्डेण्ट का जांच में केवल खसरा नंबर 9/1 में मकान बना होना लिखना उनकी जांच पर सवालिया निशान खड़ा करती है। जबकि खसरा नंबर 9/1 का रिकॉर्ड उपलब्ध न होना, रेस्पोण्डेण्ट का स्वीकृत कथन है। ऐसी स्थिति में बिना जांच निर्णय आदेश दिनांक 30.11.2017 पूर्णतः संदिग्ध एवं गलत है जो निरस्त होने योग्य है। सूचना के अधिकार–2005 के अंतर्गत प्राप्त जबाव एवं राजस्व रिकॉर्ड खसरा नंबर 9/1 एवं 9/2 की जमाबंदी की फोटोकॉपी संलग्न अपील है। अपीलाण्ट को 21.11.17 को उपस्थित हो जिरह हेतु कोई सूचना नहीं की जो न्यायालय श्रीमान्जी के आदेश की अवहेलना के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है। अपीलाण्ट का मकान करीब 60 साल पूर्व खसरा नंबर 9/2 डंगरिया में बना हुआ है। खसरा नंबर 9/1 और खसरा नंबर 9/2 को अलग करते हुए स्थायी सीमा पिलर लम्बे समय से लगे हुए हैं एवं परिवादी का भी यह कथन नहीं रहा है कि अपीलाण्ट का मकान खसरा नंबर 9/2 में नहीं है। स्वीकृत रूप में अपीलाण्ट का मकान खसरा नंबर 9/2 में बना हुआ है जिसमें वन विभाग का कोई सरोकार नहीं है। अपीलाण्ट अपने पिता के जमाने से उक्त भवन (मकान) में ही रहता चला आ रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा कालान्तर में अपीलाण्ट के मकान की भूमि का पट्टा भी जारी किया गया है जिसकी फोटो प्रति संलग्न है। प्रार्थी

जिला कलक्टर
करौली

अपीलाण्ट का उक्त मकान आबादी डंगरिया भूमि जिसको आबादी विस्ताराधीन ग्राम पंचायत को दिया गया था, में बना है। अगर अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया तो अपीलाण्ट का बहुत बड़ी बरबादी होगी। अपीलाण्ट के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऐसी सूरत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किया जाकर अधीन न्यायालय का आदेश दिनांकी अपास्त किया जाना न्यायोचित है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 30.11.2017 निरस्त फरमाते हुए निर्णय न्यायालय श्रीमान्जी दिनांक 28.08.2017 की अनुपालना में पुनः खसरा नंबर 9/1 व 9/2 की नापतोल अपीलाण्ट की मौजूदगी में कराने की आज्ञा प्रदान करने एवं अन्य अनुतोष जो मुफीद अपीलाण्ट हो, प्रदान करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् सहायक वन संरक्षक, करौली में क्षेत्रीय वन अधिकारी मासलपुर द्वारा एक परिवाद पेश किया कि अपीलाण्ट प्रार्थी द्वारा वनखण्ड मरदई दाउदपुर में ग्राम देवरी में आराजी खसरा नंबर 9 की 90X130 फीट वन भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, प्रार्थी अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिनांक 04.07.17 को पारित किये गये। प्रार्थी अपीलाण्ट ने उक्त आदेश को चुनौती देते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान्जी में अपील पेश की जिसमें माननीय न्यायालय श्रीमान्जी द्वारा अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए रेस्पोण्डेण्ट की पत्रावली रिमाण्ड कर आदेश पारित किया कि रेस्पोण्डेण्ट द्वारा टीम गठित कर अपीलाण्ट की उपस्थिति में मौके पर सीमाज्ञान/पैमाइश कराई जावे और अपीलाण्ट को साक्ष्य सबूत और सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए गुणावगुण पर पुनः निर्णय एक माह में पारित करे। माननीय न्यायालय श्रीमान्जी के आदेश दिनांक 28.08.17 की अनुपालना में रेस्पोण्डेण्ट द्वारा न्यायालय श्रीमान्जी के आदेश की अवहेलना करते हुए बिना प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा पेश किये दस्तावेज पर गौर किये एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा आदेश दिनांक 30.11.17 को प्रार्थी की अपील अस्वीकार करते हुए अपना पूर्व निर्णय दिनांक 04.07.17 यथावत् रखा जिससे व्यथित होने पर अपीलार्थी प्रार्थी ने न्यायालय श्रीमान्जी में पुनः यह अपील पेश की है जिसके मूजबात निम्न है–रेस्पोण्डेण्ट द्वारा माननीय न्यायालय श्रीमान्जी की निर्णय व आदेश की अनुपालना में न तो अपीलाण्ट द्वारा पेश किये दस्तावेजात् पर गौर किया गया ना ही अपीलाण्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जो न्यायालय श्रीमान्जी के आदेश की अवहेलना है और इसी आधार पर निर्णय रेस्पोण्डेण्ट अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 30.11.17 आरबिटरेरी एवं रूयेदाद मिसिल व खिलाफे कानून होने से निरस्त होने योग्य है। क्षेत्रीय वन अधिकारी मासलपुर के परिवाद में वन भूमि का ख.नं. 9 पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण किया जाना दर्ज किया है जिसके आधार पर रेस्पोण्डेण्ट द्वारा प्रार्थी अपीलाण्ट को ख.नं. 9 की 130X90 फीट वन भूमि पर अतिक्रमी मानकर बेदखली आदेश दिये गये हैं जबकि खसरा नंबर 9 की न तो कोई पैमाइश की गई ना ही ख.नं. 9/1 का कोई रिकॉर्ड रेस्पोण्डेण्ट कार्यालय में उपलब्ध है। जैसा कि प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा सूचना के अधिकार के तहत दरख्वास्त पर रेस्पोण्डेण्ट द्वारा अपने

जिला कलक्टर
करौली

कार्यालय पत्र संख्या 17–18/6689 दिनांक 06.09.17 द्वारा अवगत कराया। जब ख.नं. 9/1 का रेस्पोण्डेण्ट के कार्यालय में कोई रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है तो न्यायालय श्रीमान्जी के आदेश की अनुपालना में नापतोल एवं सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण के निस्तारण किये जाने की बात ही गलत साबित होती है। अतः बिना पर्याप्त जांच एवं सुनवाई किये बगैर निर्णय दिनांक 30.11.17 पारित होना मनमाना निर्णय की बात को साबित करता है और इस आधार पर निर्णय रेस्पोण्डेण्ट 30.11.2017 विधि सम्मत नहीं होने, विधि विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। खसरा नंबर 9 को कालांतर में दो भागों में विभाजित किया जाकर खसरा नंबर 9/1 एव दूसरा खसरा नंबर 9/2 बनाये गये। उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में भी इन्द्राज किये गये। खसरा नंबर 9/1 रकबा 396 बीघा 18 विस्वा का भाग जंगलात् (वन भूमि) रहा एवं खसरा नंबर 9/2 रकबा 14 बीघा 13 विस्वा गैर मुमकिन डंगरिया में रहा जो रास्ता व आबादी से भिड़ेवा होने के कारण आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत में रहा। प्रार्थी अपीलाण्ट का मकान इसी खसरा नंबर 9/2 में बना हुआ है जिससे वन विभाग का कोई संबंध नहीं है। रेस्पोण्डेण्ट द्वारा खसरा नंबर 9/2 की वास्तविक स्थिति पर कोई गौर न कर बहुत बड़ी कानूनी भूल की है और निर्णय रेस्पोण्डेण्ट दिनांक 30.11.2017 निरस्त होने योग्य है। जब प्रारम्भ से खसरा नंबर 9 का वन भूमि में होना क्षेत्रीय वन अधिकारी मासलपुर द्वारा दर्ज किया है एवं यह भी रिकॉर्ड पर है कि खसरा नंबर 9 को दो भागों खसरा नंबर 9/1 व खसरा नंबर 9/2 बांटा गया तो वास्तविकता जानने के लिए खसरा नंबर 9/1 व 9/2 की सही स्थिति की जानकारी किया जाना आवश्यक थी। तब ही सही स्थिति रिकॉर्ड पर आ पाती। रेस्पोण्डेण्ट का जांच में केवल खसरा नंबर 9/1 में मकान बना होना लिखना उनकी जांच पर सवालिया निशान खड़ा करती है। जबकि खसरा नंबर 9/1 का रिकॉर्ड उपलब्ध न होना, रेस्पोण्डेण्ट का स्वीकृत कथन है। ऐसी स्थिति में बिना जांच निर्णय आदेश दिनांक 30.11.2017 पूर्णतः संदिग्ध एवं गलत है जो निरस्त होने योग्य है। सूचना के अधिकार–2005 के अंतर्गत प्राप्त जबाव एवं राजस्व रिकॉर्ड खसरा नंबर 9/1 एवं 9/2 की जमाबंदी की फोटोकॉपी संलग्न अपील है। अपीलाण्ट को 21.11.17 को उपस्थित हो जिरह हेतु कोई सूचना नहीं की जो न्यायालय श्रीमान्जी के आदेश की अवहेलना के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है। अपीलाण्ट का मकान करीब 60 साल पूर्व खसरा नंबर 9/2 डंगरिया में बना हुआ है। खसरा नंबर 9/1 और खसरा नंबर 9/2 को अलग करते हुए स्थायी सीमा पिलर लम्बे समय से लगे हुए हैं। स्वीकृत रूप में अपीलाण्ट का मकान खसरा नंबर 9/2 में बना हुआ है जिसमें वन विभाग का कोई सरोकार नहीं है। अपीलाण्ट अपने पिता के जमाने से उक्त भवन (मकान) में ही रहता चला आ रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा कालान्तर में अपीलाण्ट के मकान की भूमि का पट्टा भी जारी किया गया है। प्रार्थी अपीलाण्ट का उक्त मकान आबादी डंगरिया भूमि जिसको आबादी विस्ताराधीन ग्राम पंचायत को दिया गया था, में बना है। अगर अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया तो अपीलाण्ट की बहुत बड़ी बरबादी होगी। अपीलाण्ट के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऐसी सूरत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांकी अपास्त किया जाना न्यायोचित है। ग्राम पंचायत खूण्डा की पंचों की बैठक जनवरी 85 में श्री गंगाधर पंच ने प्रस्ताव रखा कि ग्राम देवरी में श्री निहालसिंह पुत्र सरदारसिंह गुर्जर का परिवार बड़ा है। इनका परिवार गांव देवरी में रास्ते के पास रहता है। परिवार बड़ा होने के कारण खाली जगह पोखर के पास इनका पुराना कब्जा है। अतः

जिला कलक्टर
करौली

इसकी फीस लेकर नक्शा दे दिया जावे। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया। दिनांक 18.04.85 की ग्राम पंचायत की बैठक में श्री निहालसिंह पुत्र श्री सरदारसिंह की तामील पर किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं की। अतः पट्टा जारी किया जावे। कोरम पूरा नहीं होने के कारण पट्टा दिनांक 15.06.85 को जारी किया जावे। दिनांक 15.06.85 की ग्राम पंचायत की बैठक में पट्टा जारी किये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। वकील अपीलाण्ट ने उक्त बैठकों के प्रस्तावों की छायाप्रति संलग्न की है। राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ.6(20)रा.क.–63 दिनांक 14.02.1963 के अनुसार खसरा नंबर 9/1 को वनभूमि घोषित किया गया जिसका अमल दरामद सन् 1986 में किया गया। वन विभाग द्वारा यह कार्यवाही सन् 1986 में ही की जानी चाहिये थी। इतने वर्षों बाद इस कार्यवाही को किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 30.11.2017 निरस्त फरमाते हुए निर्णय न्यायालय श्रीमान्जी दिनांक 28.08.2017 की अनुपालना में पुनः खसरा नंबर 9/1 व 9/2 की नापतोल अपीलाण्ट की मौजूदगी में कराने की आज्ञा प्रदान करने एवं अन्य अनुतोष जो मुफीद अपीलाण्ट हो, प्रदान करने का कथन किया है।

वकील रेस्पोण्डेण्ट का बहस में कथन है कि उपवन संरक्षक करौली के कार्यालय आदेश क्रमांक–एफ ( ) विधि/उवसं/2017–18/7381 दिनांक 16.10.17 द्वारा गठित की गई टीम द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण दिनांक 26.10.2017 को किया गया जिसके अनुसार तहसीलदार मासलपुर मय हल्का गिरदावर कंचनपुर, हल्का पटवारी पिपरानी एवं रूंधपुरा, वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं स्टाफ मय पुलिस जाप्ता द्वारा निर्मित मकान का सीमाज्ञान करने मौके पर पहुंचे। सीमाज्ञान हेतु सर्वप्रथम खसरा नं. 252, 253 एवं नाला खसरा नं. 294 तिमेढ़ा बिन्दु (जो कि संलग्न नक्शे मे A से दर्शाया है) से खसरा नं. 288, 284 एवं नाला खसरा नं. 294 तिमेढ़ा बिन्दु (जो कि संलग्न नक्शे मे B से दर्शाया है) तक जरीब चलाकर उस लाईन को AB उत्तर में खूंडा से पिपरानी जानी वाली सड़क के रास्ते के खसरा नं. 289/2 एवं खातेदारी खेत खसरा नं. 288 के कटान बिन्दु तक आये (जो कि संलग्न नक्शे मे C से दर्शाया है)। इस बिन्दु C को कुंआ खसरा नं. 265 से जरीब चलाकर पुख्ता किया। इसी कुंए से (जो कि संलग्न नक्शे में बिन्दु D से दर्शाया है) खसरा नं. 288 व 289/2 के कटान बिन्दु (जो कि संलग्न नक्शे मे बिन्दु E से दर्शाया है) तक जरीब चलाकर बिन्दु E को पुख्ता किया। इसके पश्चात् E व C को आगे उत्तर–पश्चिम दिशा में आगे बढ़ाते हुए वन विभाग के खसरा नं. 9/1 की दक्षिणी सीमा तय की एवं बिन्दु F व G कायम किये। बिन्दु G के जी.पी.एस. निर्देशांक N-26°37′00.4′′, E-77°21′20.8′′ हैं एवं बिन्दु F के जी.पी.एस. निर्देशांक N-26°37′01.7′′, E-77°21′23.3′′ हैं। रेखा FG वन विभाग के खसरा नं. 9/1 की दक्षिणी सीमा है। मौके पर श्री निहालसिंह पुत्र श्री सरदारसिंह जाति गुर्जर का मकान रेखा FG के उत्तर में एवं पूर्णतः वन विभाग के खसरा नं. 9/1 में ही स्थित है। उपवन संरक्षक द्वारा सीमाज्ञान बाबत् कार्यालय आदेश क्रमांक–एफ ( ) विधि/उवसं/2017–18/7381 दिनांक 16.10.17 से संयुक्त टीम का गठन करके अपीलाण्ट को पत्रांक–एफ ( ) विधि/उवसं/2017–18/7382–88 दिनांक 16.10.17 से दिनांक 26.10.2017 को सर्वे कार्य हेतु उपस्थित रहने बाबत् सूचित किया गया है। सहायक वन संरक्षक करौली द्वारा पुनः सुनवाई हेतु नोटिस क्रमांक एफ( )सवस/2017–18/438 दिनांक 09.11.17 रजिस्टर्ड डाक से अपीलाण्ट को प्रेषित किया गया है जिसके उत्तर में अपीलाण्ट द्वारा दिनांक

जिला कलक्टर
करौली

15.11.2017 को उपस्थित होकर अपना लिखित जबाव प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे में किसी भी खसरा नंबर का अंकन नहीं है। साथ ही वन विभाग की भूमि पर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया है।

तहसीलदार मासलपुर ने अपने पत्र क्रमांक–राजस्व/2018/67 दिनांक 30.01.2018 से अवगत कराया है कि दिनांक 26.10.2017 को उप वन संरक्षक, करौली द्वारा गठित वन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा पैमाइश करने पर वन भूमि खसरा नंबर 9/1 रकबा 396 बीघा 18 विस्वा भूमि में अतिक्रमी श्री निहालसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति गुर्जर का पक्का मकान मय बाउण्ड्री बनाकर कब्जा पाया गया जो लगभग 100'X180' में है। संपूर्ण कब्जा वन विभाग के नाम दर्ज भूमि 9/1 में ही है। उपर्युक्त वन भूमि ख.नं. 9/1 के सटते हुए सरकारी सिवायचक भूमि ख. नं. 9/2 रकबा 14 बीघा 13 विस्वा है। संबंधित खसरा नं. 9/1 व 9/2 की जमाबंदी नकल मय नक्शा ट्रेस संलग्न है जिसमें अतिक्रमी के कब्जे की नजरी स्थिति भी संकेत के माध्यम से दर्शाई गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का मनन किया गया। अपीलाण्ट का मकान खसरा नं. 9/1 पर बना हुआ है जो कि वन विभाग की भूमि है। ग्राम पंचायत को वनभूमि पर पट्टे जारी करने का कोई अधिकार नहीं है एवं पट्टे में किसी भी खसरा नंबर का अंकन नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, करौली द्वारा संयुक्त टीम द्वारा सीमाज्ञान उपरांत पुनः सुनवाई कर पारित निर्णय दिनांक 30.11.2017 सही प्रतीत होता है जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, करौली का निर्णय दिनांक 30.11.2017 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02..2018 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली

जिला कलक्टर
करौली